classmate
Date
Page

DATE: 17/08/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 06 (THE UNION EXECUTIVE: PRESIDENT)

LECTURE NO.- 38 (THIRTY EIGHT)

By.
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POLITICAL SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

भारतीय राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन

भारतीय राष्ट्रपति को संविधान द्वारा दिए गए संकटकालीन शक्तियों का संविधान निर्माण के समय और उसके बाद कटु आलोचना की जाती रही है। इसके विपक्ष में निम्नलिखित आधारों पर तर्क दिए जाते हैं अर्थात इसकी आलोचना की जाती है —

(i) संघात्मक रूप का अंत—

संविधान द्वारा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गयी है, लेकिन संकटकालीन उपबंध इस व्यवस्था का आधारभूत स्वरूप ही समाप्त कर देते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सरकार लगभग समाप्त हो जाती है और राज्यपाल के माध्यम से केन्द्रीय सरकार राज्य शासन अपने हाथ में ले लेती है। युद्धकालीन अथवा वित्तीय संकट के समय राज्य सरकारों पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण अत्यधिक बढ़ जाता है।

(ii) राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन सम्भव है

केन्द्र का शासक दल राष्ट्रपति शासन के माध्यम से राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन कर सकता है। कई बार इस शक्ति का प्रयोग इस तरह किया गया है कि दमन सम्बंधी आशंका को बल मिलता है।

Scanned with CamScanner

(iii) राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है—

संकट की स्थिति का एकमात्र निर्णायक राष्ट्रपति ही है और राष्ट्रपति के द्वारा संसद से पूर्व बिना भी संकटकालीन घोषणा एक माह के लिए लागू की जा सकती है। एक माह की इस अवधि में वह मंत्रिमंडल को पदच्युत तथा लोकसभा को भंग कर लगभग 5 या 7 माह तक तो मनमाना शासन कर सकता है। इस अवधि में महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति अपनी स्थिति सुदृढ़ कर अधिनायक बनने का प्रयास कर सकता है।

(iv) राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की समाप्ति सम्भव—

राष्ट्रपति आर्थिक क्षेत्र में राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है। हृदयनाथ कुंजरू के शब्दों में, "संकटकाल के नाम पर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त की जा सकती है।"

(v) मूल अधिकारों के अर्थहीन होने की सम्भावना :—

आलोचकों के द्वारा आशंका की गई है कि संकटकालीन उपबंध मूल अधिकारों को समाप्त कर देंगे। संविधान सभा के अनेक प्रमुख सदस्यों ने संकटकाल के अन्तर्गत मूल अधिकारों को समाप्त करने की इस व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए घातक बताया था। कामथ और शिब्बनलाल सक्सेना के द्वारा इसे 'भारतीय संविधान पर एक धब्बा' कहा गया है।

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

संकटकालीन शक्तियों के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं —

(i) संकटकालीन उपबंध विशेष परिस्थितियों के लिए —

राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्ति संविधान द्वारा विशेष परिस्थितियों के लिए दिए गए हैं, न कि सामान्य परिस्थितियों के लिए। यह बात निर्विवाद है कि संकटकाल में व्यक्ति की पूर्ण राजभक्ति की अधिकारिणी केन्द्रीय सरकार ही हो सकती है, राज्य सरकारें नहीं। यह उपबंध संघात्मक व्यवस्था को समाप्त नहीं करते हैं, केवल सीमित करते हैं और संकटकाल समाप्त हो जाने पर संघात्मक व्यवस्था पुनः अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त कर लेती है।

(ii) राष्ट्रपति अधिनायक नहीं बन सकता —

संघात्मक शासन व्यवस्था में कोई भी राष्ट्रपति अधिनायक बनने की बात सोचेगा, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। टी० टी० कृष्णामाचारी के शब्दों में "अगर कार्यपालिका अपनी संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो संसद उसे रोक सकती है।"

(iii) संकटकाल में नागरिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण —

व्यक्ति की दृष्टि से संकटकाल में मूल अधिकारों का स्थगन चाहे कितना ही अनुचित क्यों न हो, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से संकटकाल में मूल अधिकारों का स्थगन कुछ सीमा तक आवश्यक है।

पक्ष में दिए गए उपर्युक्त तर्क व्यवहारिक हैं।

Scanned with CamScanner

यदि हम राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के विपक्ष एवं पक्ष में दिए गए तर्कों का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि जहाँ विपक्ष के तर्कों में कुछ सत्यता के अंश है, अतिशयोक्ति भी है, तो पक्ष में दिए तर्क भी सशक्त हैं, इसमें व्यावहारिक बातों का उल्लेख किया गया है।

संविधान में दिए गए संकटकालीन उपबंध भले ही अरुचिकर प्रतीत हो, लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि यह व्यवस्था राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए परम आवश्यक है। टी०टी० कृष्णामाचारी ने संविधान सभा में ठीक ही कहा था कि "संविधान के अन्तर्गत की गयी संकटकालीन व्यवस्था को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा क्योंकि इन प्रबंधों के बिना संविधान निर्माण के हमारे सभी प्रयत्न ही अन्ततः असफल हो जायेंगे।"

1975 में लागू किए गए 19 माह के आपातकाल में आपातकालीन शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। इस तरह के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए 44वें संशोधन 1976 द्वारा ऐसी व्यवस्थाएँ की गई कि भविष्य में शासक वर्ग के द्वारा निजी स्वार्थों की रक्षा के लिए आपातकाल लागू नहीं किया जा सके और आवश्यक होने पर ही इसे लागू किया जा सके।

x —— x —— x —— x